भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

Daya Shankar Yadav
Advocate
Agra

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH M 258095

रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड

यह विलेख आज दिनांक 04 दिसम्बर 2010 को श्री मनीष कु0 मित्तल पुत्र श्री नेमीचन्द मित्तल नि 45, ओल्ड, सरस्वती नगर, बल्केश्वर रोड, आगरा द्वारा निष्पादित किया गया।

1–	ट्रस्ट का नाम–	श्रीमती मीरा मित्तल सामाजिक ट्रस्ट
2–	ट्रस्ट का पता–	45, ओल्ड, सरस्वती नगर, बल्केश्वर रोड, आगरा
	शाखा कार्यालय–	ट्रस्ट की शाखायें देश के अन्य स्थानों पर भी स्थापित की जा सकती है।
3–	ट्रस्ट में लगाया गया धन–	ट्रस्ट में लगाया गया धन 50,000/– (पचास हजार रूपये) नकद या चैक धनराशि श्री मनीषं कुमार मित्तल पुत्री श्री नेमीचन्द मित्तल निवासी 45, ओल्ड, सरस्वती नगर, बल्केश्वर रोड, आगरा

रीना जालान पुत्री श्री एन. के. जालान निवासी –35, बल्देवपुरी, महोली रोड, मथुरा एवं अन्जु बंसल पत्नी श्री अतुल बंसल निवासी–जी–40, सेक्टर 41, नोएडा एवं श्रीमती निर्मल चौहान पुत्री स्व. श्री गीतम सिंह सिसौदिया निवासी ए–212, ट्रांस यमुना कॉलोनी, आगरा द्वारा ट्रस्ट के लिये समर्पित की गई।

इस प्रकार श्री मनीष कुमार मित्तल ने ट्रस्ट का निर्माण किया एवं यही इसमें संस्थापक ट्रस्टी हैं।

यह धनराशि ट्रस्ट की सम्पत्ति मानी जायेगी। ट्रस्ट को जो धनराशि, दान अथवा अन्य रूप से प्राप्त होगी, वह ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी।

"भारतीय न्याय अधिनियम के अनुसार ट्रस्ट एक ऐसा आभार है जो सम्पत्ति के स्वामित्व का आबद्ध होता है जिसे सम्पत्ति का स्वामी स्वीकार करता है अथवा घोषित एवं स्वीकार करता है सम्पत्ति का स्वामी इस प्रकार का आभार अन्य व्यक्तियों के हित अथवा लाभ के लिये स्वीकार करेगा।" वर्तमान में ट्रस्ट में कोई अचल सम्पत्ति नहीं हैं।

Manager
Kids Vanasthali Public School
Kalindi Vihar, AGRA

7960

स्टाम्प विक्रय की तिथि 1-12-10

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन डीड

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता मनीष कुमार S/o श्री नेमीचन्द मित्तल नि० ओल्ड सरस्वती नगर बल्केश्वर रोड आ०

स्टाम्प की धनराशि 500/-

मनीष वर्मा

लाइसेंस नं॰ 117

लाइसेंस की अवधि 31 मार्च 2011

सदर तहसील, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये | Rs. 100

रु. 100 | ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AM 341460

राजेश ... सिंह
रोकड़िया
2 NOV 2010
कोषागार, आगरा

–2–

... के तत्व– मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट का गठन निम्न तत्वों पर आधारित है–

ट्रस्ट एक प्रकार का आभार है। आभार का सम्पत्ति से जुड़ा होना स्वामित्व से आबद्ध होता है ट्रस्ट का उदय विश्वास से होता है और प्रत्येक ट्रस्ट के लिये हिताधिकारियों का होना आवश्यक है ट्रस्ट का रचियता अपनी सम्पत्ति प्रदान करके सम्पत्ति के स्वमित्व के आभार का आबद्ध करेगा।

इस प्रकार एक ट्रस्ठ में आभार ट्रस्टी हितधारी ट्रस्ट सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के स्वामी के द्वारा विश्वास पूर्वक आभार की अभिव्यक्ति है।

उपरोक्त अधिनियम के तत्वों के आधार पर ट्रस्ट के निम्न ट्रस्टी होगें जो उक्त ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी भी है।

1–	श्री मनीष कुमार मित्तल	मुख्यट्रस्टी
2–	श्रीमती रानी जालान	ट्रस्टी
3–	श्रीमती अन्जु बंसल	ट्रस्टी
4–	श्रीमती निर्मल चौहान	ट्रस्टी

5– **ट्रस्ट के उद्देश्य–**

1– शिक्षा के विकास हेतु प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु स्कूल कॉलेज, डिग्री कालेज, पी० जी० कॉलेज, इन्जीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज, ओद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान, तकनीकी कॉलेज की स्थापना करना, ए० आई० सी० टी० ई०/एन० सी० टी० ई० से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों की समबद्धता लेकर

Manager
Kids Vanasthali Public School
Kalindi Vihar, AGRA

7961
1-12-10
३१८१ डी

मनीष कुमार — 7960

1001

यास पत्र

50,000.00	500.00	20	520.00	1,000
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री /श्रीमती मनीष कुमार मित्तल
पुत्र / पत्नी श्री नेमीचन्द मित्तल
पेशा व्यापार
निवासी स्थायी 45 ओल्ड सरस्वती नगर बल्केश्वर रोड आगरा
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 4/12/2010 समय 1:54PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

ललित मोहन प्र0
उपनिबन्धक (प्रथम)
आगरा सदर
4/12/2010

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री/श्रीमती मनीष कुमार मित्तल
पुत्र/पत्नी श्री नेमीचन्द मित्तल
पेशा व्यापार
निवासी 45 ओल्ड सरस्वती नगर बल्केश्वर रोड आगरा

मीरा मित्तल

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AM 346401

2 NOV 2010

-3-

तकनीकी व शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा डिग्री कॉलेजों की स्थापना करना, निःशुल्क दूरस्थ शिक्षा, तकनीकी, ओद्यौगिक व्यवसाय एवम् ग्रामोद्योगी व कृषि शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर युवक/युवतियों को स्वावलम्बी एवम् आत्मनिर्भर करना।

2– मजदूरों/कारीगरों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना व उन्हें शिक्षित कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना, शिक्षा के प्रति उन्हें जागरूक करना तथा उनके बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा संस्थानों, चिकित्सा संस्थानों की स्थापना करना, बच्चों की सुविधा हेतु पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास, क्रीड़ा केन्द्रों, व्यायामशाला, आवासीय विद्यालय की स्थापना करना तथा निर्धन, अनाथ, मेधावी बच्चों को छात्रवृत्तियां दिलाना। खेलों को बढ़ावा देना तथा समय–समय पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना तथा उत्कृष्ट/विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करना।

3– नागरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़े एवं मलिन बस्तियों में स्वच्छता, साक्षरता, परिवार नियोजन, मातृ शिशु पोषण, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, बाल टीकाकरण कार्यक्रमों, गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण आदि कार्यक्रम चलाना तथा उनके कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की उन्हें जानकारी देना एवं समय–समय पर जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।

4– शिक्षित युवक युवतियों में स्वालम्बन की भावना जागृत करना तथा छात्र छात्राओं के लिए स्नातक एवं परास्नातक विद्यालयों की स्थापना, विधि शिक्षा प्रबन्धन शिक्षा विज्ञान, रिमोट सांइस महाविद्यालय कला/विज्ञान/वाणिज्य आदि शिक्षण संस्थान, बायोटेक्नोलोजी शिक्षण संस्थान, एन्वायरोमेन्टल शिक्षण संस्थान, होटल मैनेजमैन्ट/कैटरिंग मैनेजमेण्ट शिक्षण संस्थान, शिक्षक प्रशिक्षण जैसे बी०एड० बी०टी०सी० बी० पी० ई० एड०,

Manager
Kids Vanasthali Public School
Kalindi Vihar, AGRA

7962

स्टाम्प बिक्रय की तिथि 1-12-10
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन इकरारनामा
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता मनीष कुमार — 7960

स्टाम्प की धनराशि 100/-

मनीष वर्मा
लाइसेंस नं॰ 117
लाइसेंस की अवधि 31 मार्च 2011
सदर तहसील, आगरा

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री मीरा मित्तल
पुत्र श्री पुत्री बाबूलाल गोयल
पेशा गृहिणी
निवासी 45 ओल्ड सरस्वती नगर बल्केश्वर रोड आगरा
व श्री बीरेन्द्र कुमार
पुत्र श्री नैमीचन्द
पेशा अन्य
निवासी 45 ओल्ड सरस्वती नगर बल्केश्वर रोड आगरा

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

ललित मोहन प्र0
उपनिबन्धक (प्रथम)
आगरा सदर
4/12/2010

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AM 346402

शैलपाल सिंह
कोषांगिक
29 NOV 2010
कोषागार, आगरा

एम० एड० आदि करने हेतु डिग्री कॉलेज/ महाविद्यालयों की स्थापना करना नर्सिंग/ट्रेनिंग पैरामेडीकल/ट्रेनिंग शिक्षण संस्थान, बालश्रमिक विद्यालय, शिक्षा संकाय, कृषि शिक्षा एवं वोकेशनल एजूकेशनल, दूरस्थ शिक्षा, पत्रकारिता पर आधारित शिक्षा संस्थानों को खोलना व उसकी समुचित व्यवस्था पूर्व अनुमति प्राप्त करके करना।

5– ट्रस्ट का उद्देश्य समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, गोष्ठियों, स्वास्थ्य रक्षा शिविरों, नेत्र राहत कैम्पों, विचार गोष्ठियों, स्वास्थ्य रक्षा शिविरों, नेत्र राहत कैम्पों, विचार गोष्ठियों, राहत शिविरों, सेमीनार, सिम्पोजियम, जागृति शिविरों, कला प्रदर्शनी, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, बालश्रम उन्मूलन कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन, मद्यनिषेध कार्यक्रम चलाना।

6– कम्प्यूटर प्रणाली की नवीनतम जानकारियाँ उपलब्ध करना व कराना व नव युवक–युवतियों को कम्प्यूटर के माध्यम से कम्प्यूटर प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार की ओर अग्रसर करना व कम्प्यूटर के वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना हैं।

7– ट्रस्ट के उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में नागरिकों की सुविधा हेतु सामुदायिक केन्द्रों, धर्मार्थ संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं, निःशुल्क औषधालयों का निर्माण व उसके संचालन की पूर्ण व्यवस्था करना, गर्मियों में प्याऊ व जाड़ों में रैन बसेरे की व्यवस्था करना।

8– योग, प्राकृतिक तथा भारतीय पुरातन व नवीन चिकित्सा पद्धति के माध्यम से विभिन्न संक्रामक व असाध्य रोगों से नागरिकों को मुक्त कराने का प्रयास करना तथा शारीरिक शिक्षा केन्द्रों, योग साधना केन्द्रों व निःशुल्क चिकित्सालय/औषधालय की स्थापना करना।

9– शिक्षा का प्रचार, प्रसार करना, विभिन्न स्थानों पर सी०बी० एस० ई०/आई० सी०

Manager
Kids Vanasthali Public School
Kalindi Vihar, AGRA

7963
स्टाम्प विक्रय की तिथि 1-12-10
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ट्रस्टीज
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता मनीष कुमार — 7960

स्टाम्प की धनराशि 100/-

मनीष शर्मा
लाइसेंस नं - 117
लाइसेंस की अवधि 31 मार्च 2011
सदर तहसील, आगरा

न्यासी

Registration No 234 Year : 2010 Book No. 4

0101 **मनीष कुमार मित्तल**

नेमीचन्द मित्तल

45 ओल्ड सरस्वती नगर बल्केश्वर रोड आंगरा

व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AM 346403

29 NOV 2010

एस० ई० बोर्ड के विद्यालयों की स्थापना करना।

10– ट्रस्ट का उद्देश्य निःशुल्क कम्प्यूटर, टाइपिंग, मोबाइल प्रशिक्षण/रिपेयरिंग आदि का प्रशिक्षण प्रदान करना।

11– ट्रस्ट का उद्देश्य शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना तथा बच्चों का नैतिक, सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक एवं कलात्मक उन्नति का समुचित विकास करना।

12– ट्रस्ट का उद्देश्य शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेत कार्यक्षेत्र में प्राईमरी से होकर जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट, तकनीकी शिक्षा संस्थानों की स्थापना केन्द्रीय शिक्षा पद्धति, उ0 प्र0 शासन संचालित पाठ्यक्रम शिक्षा पद्धति से करना एवं उच्च शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना कर उनका संचालन करना।

13– ट्रस्ट का उद्देश्य बच्चों की सुविधा हेतु क्रीड़ा केन्द्र व्यायामशाला, पुस्तकालय, वाचनालय ओडिटोरियम एवं खेल सामग्री की उचित व्यवस्था करना।

14– ट्रस्ट का उद्देश्य तकनीकी, व्यवसायिक, प्रबंन्धन, स्वास्थय केन्द्र, मैडिकल कॉलेज एवं औद्योगिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना व चलाना तथा निर्धन बालक–बालिकाओं को केन्द्रीय एंव राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों व संस्थानो के सहयोग से सुलभ प्रशिक्षण जैसे: सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कताई, हस्तशिल्प कला, वास्तु कला, दस्तकारी, दरी कालीन ड्राइंग पेंटिग प्रशिक्षण तथा टंकण एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण देकर/दिलाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा उनमें जगरुकता पैदा करना।

15– सामज के उत्थान व नागरिकों के कल्याण हेतु पुस्तकालय, छात्रावास, आश्रय स्थल, वृद्धाश्रम, विकलांग आश्रम, नारी उत्थान संस्थानों, अनाथालय, चिकित्सालय, विवाह स्थल व मन्दिर संस्थानों की स्थापना एवं संचालन करना।

16– समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों संत्संग, गोष्ठियों एवं सभाओं व जनजागृति

Manager
Kids Vanasthali Public School

7964

स्टाम्प विक्रय की तिथि — 1-12-10

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन — दस्तावेज

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता — मनीष कुमार ——— 7960

स्टाम्प की धनराशि — 100/-

मनीष वर्मा
लाइसेंस नं० 117
लाइसेंस की अवधि 31 मार्च 201।
सदर तहसील, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AM 346404

शशिपाल सिंह
स्टाम्प विक्रेता
29 NOV 2010
लोहामण्डी, आगरा

कार्यक्रमों, प्रवचन, रामायण, गीता भागवत कथा एवं अन्य का आयोजन कर लोगों में परस्पर एकता भाईचारे एवं सहयोग की भावना पैदा करना।

17- ऐसी संस्था (समिति/ट्रस्ट) जिसका संचालन जन हित में ठीक न चल रहा हो ट्रस्ट को संचालन का अपना प्रस्ताव देती है तो ऐसी संस्था का सम्पूर्ण संचालन अधिकार लेन देन अपने हाथ में प्रस्ताव पारित कर ले सकते है ट्रस्ट के उद्देश्यों से संस्था को ट्रस्ट के रूप में चलायेगें।

6- **ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र-** सम्पूर्ण भारतवर्ष।

7- ट्रस्ट अखण्डनीय होगा।

8- **ट्रस्ट के धन सम्बन्धी कार्य-** कोई भी ट्रस्टी किसी भी समय 1 माह की सूचना देकर त्यागपत्र दे सकता है। उक्त तिथि के बाद उसका स्थान रिक्त माना जायेगा। ट्रस्ट में जन सामान्य द्वारा एवं ट्रस्टियों द्वारा दिया गया धन व दान आदि की धनराशि ट्रस्ट के द्वारा खोले गये खाते में किसी राष्ट्रीयकृत/प्राइवेट/कार्पोरेट बैंक में जमा की जायेगी। जो जनहित तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये खर्च की जायेगी। भवन के निर्माण की व्यवस्था के लिये प्रबन्धक द्वारा बैंक, प्राइवेट कम्पनी फाइनेंस आदि से ट्रस्ट हित में ब्याज पर धन का इन्तजाम करेगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय, महाविद्यालय, धर्मशाला, मंदिर आदि के खाते बैंक में खोलकर धनराशि के लियेलेन-देन करने (बैंक खाता आपरेट) के लिये प्रबन्धक/ मुख्य ट्रस्टी के हस्ताक्षर होगें। अपनी अन्य संस्थाओं में बैंक खाता आपरेट की अनुमति प्रस्ताव पारित कर ट्रस्टी सदस्य को दी जा सकती है।

9- **ट्रस्टियों की नियुक्ति-** मुख्य ट्रस्टी द्वारा प्रबन्धक पद को छोड़कर शेष ट्रस्ट के पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रति तीन वर्ष के लिये की जायेगी, ट्रस्ट में प्रबन्धक पद

Manager
Kids Vanasthali Public School
Kalindi Vihar, AGRA

7965

स्टाम्प विक्रय की तिथि 1-12-10

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन इकरारनामा

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता मनीष कुमार — 7960

स्टाम्प की धनराशि 100/-

मनीष वर्मा मनीष वर्मा
लाइसेंस नं० 117
लाइसेंस की अवधि 31 मार्च 2011
सदर तहसील, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये | Rs. 100

रु. 100 | ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AM 346405

शशिनाथ सिंह
कोषाध्यक्ष
29 NOV 2010
कोषागार, आगरा

मुख्य ट्रस्टी के पास आजीवन रहेगा। इनकी मृत्यु के बाद उनका वंशज ही ट्रस्ट का प्रबन्धक होगा। वंशजों में से मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक का चयन सभी विद्यमान ट्रस्टियों की सहमति से किया जायेगा। मुख्य ट्रस्टी का अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी प्रबन्धक को मनोनीत करने का अधिकार रहेगा और उक्त मनोनयन के आधार पर ही मुख्य ट्रस्टी की मुत्यु उपरान्त यह मनोनीत व्यक्ति प्रबन्धक बन सकेगा। ट्रस्ट के सभी ट्रस्टीगण आजीवन ट्रस्टी सदस्य होगें। अन्य ट्रस्टियों की मृत्यु की दशा में मुख्य ट्रस्टी द्वारा अन्य ट्रस्टियों का चयन किया जायेगा।

10– ट्रस्ट की सदस्यता– यदि कोई सदस्य इस ट्रस्ट को भविष्य में 10000/– (दस हजार रूपये) या इसमें अधिक अथवा या इससे अधिक मूल्य की कोई चल, अचल सम्पत्ति ट्रस्टी सदस्य बनने हेतु प्रदान करेगा वह इस ट्रस्ट का आजीवन सदस्य मुख्य ट्रस्टी द्वारा बनाया जायेगा कुल ट्रस्टीयों की संख्या न्यूनतम 3 तथा अधिकतम 60 तक रह सकेगी।

संरक्षक ट्रस्टी–जो सज्जन इस ट्रस्ट को 11,00,000 (ग्यारह लाख रुपये) या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल सम्पत्ति व चल सम्पत्ति देगा, वह सज्जन इस ट्रस्ट का संरक्षक ट्रस्टी बनाया जायेगा।

11– संचालित संस्थानो की प्रबन्धसमिति में नामित सदस्य–

ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय व अन्य संस्थायें जो ट्रस्ट द्वारा संचालित है की प्रबन्धसमिति में मुख्य ट्रस्टी को ही प्रबन्धक पद के लिये भेजा जायेगा ट्रस्ट का प्रबन्धक ही ऐसे संस्थानो का प्रबन्धक होगा, अन्य पदाधिकारियों एवं सदस्यों के लिये मुख्य ट्रस्टी जिसे उपयुक्त समझे

Manager
Kids Vanasthali Public School
Kalindi Vihar, AGRA

स्टाम्प बिक्रय की तिथि 7965

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन दूस्टीज

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता मनीष कुमार —— 7960.

स्टाम्प की धनराशि 150/-

मनीष वर्मा (हस्ताक्षर) मनीष वर्मा

लाइसेंस नं॰ 117

लाइसेंस की अवधि 31 मार्च 201।

सदर तहसील, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AM 346406

शशिपाल सिंह
स्टाम्प विक्रेता
29 NOV 2010
कोषागार, आगरा

ट्रस्टी सदस्यों में से भेज सकेगा ऐसे पदाधिकारीएवं सदस्य पद हेतु भेजे जाने वाले ट्रस्टी सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 15 होगी। विशिष्ट सदस्य विभिन्न क्षेत्रों मे विशेष योग्यता रखने वाले अग्रणी व्यक्ति दो वर्ष के लिये मुख्य ट्रस्टी द्वारा विशिष्ट सदस्य नामित किये जा सकेंगे। ऐसे सदस्यों की संख्या अधिकतम 03 होगी ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त रहेंगे। ऐसे सदस्यों को मत देने का अधिकार न होगा।

ट्रस्ट के सृजनकर्ता श्री मनीष कुमार मित्तल हैं। श्री मनीष कुमार मित्तल इस ट्रस्ट प्रबंन्ध समिति व सहयोगी संस्थाओं की प्रबन्ध समिति के अजीवन प्रबन्धक/सचिव रहेंगे। शेष पदाधिकारियों व सदस्यों को मुख्य ट्रस्टी द्वारा आगमी तीन वर्षो के लिये नामित किया जायेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों को पुनः भी आगामी वर्षो के कार्यकाल के लिये नामित किया जा सकता है।

11– **ट्रस्ट मण्डल (प्रमुख)–** ट्रस्ट के प्रबन्धक श्री मनीष कुमार मित्तल हैं वे ही इस पद पर जीवन पर्यन्त रहेगें, आगामी प्रबन्धक की नियुक्ति प्रबन्धक ही करेगा तथा इनकी मृत्यु के बाद उनका वंशज ही ट्रस्ट का प्रबन्धक होगा। जैसे कि ऊपर उल्लखित है ट्रस्ट के सभी ट्रस्टीगण आजीवन ट्रस्टी सदस्य रहेगें।

12– **ट्रस्टियों की संख्या–** वर्तमान में ट्रस्टियों की संख्या मुख्य ट्रस्टी को मिलाकर चार है। जिसमें वर्तमान में निम्न पदाधिकारी व सदस्य रहेगें।

Manager
Kids Vanasthali Public School
Kalindi Vihar, AGRA

7966

स्टाम्प विक्रय की तिथि 1-12-10

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता मनीष कुमार —— 7960

स्टाम्प की धनराशि 150/-

[signature] मनीष वर्मा

लाइसेंस नं॰ 117

लाइसेंस की अवधि 31 मार्च 2011

सदर तहसील, आगरा

क्रम सं0	नाम मय बल्दियत	पूरा पता	पद
1–	श्री मनीष कुमार मित्तल पुत्र श्री नेमीचन्द मित्तल	45, ओल्ड सरस्वती नगर, बल्केश्वर, आगरा	प्रबन्धक/ सचिव/ मुख्यट्रस्टी
2–	श्रीमती रीना जालान पुत्री श्री एन. के. जालान	35, बल्देवपुरी, महोली रोड, मथुरा	अध्यक्षा
3–	श्रीमती अन्जु बंसल पत्नी श्री अतुल बंसल	जी–40, सेक्टर 41, नोएडा	कोषाध्यक्ष
4–	श्रीमती निर्मल चौहान पुत्री स्व. श्री गीतम सिंह सिसौदिया	ए–212, ट्रान्स यमुना कॉलोनी, रामबाग, आगरा	उपसचिव/ उपप्रबन्धक

13– **ट्रस्टियों मण्डल के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य–**

प्रबन्धक/ सचिव/ मुख्यट्रस्टी

1– ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुचाँना, मीटिंग कार्यवाही लिखना।

2– ट्रस्ट के वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा व वार्षिक बजट तैयार करना।

3–कार्यो की देखभाल करना व ट्रस्ट के वार्षिक हिसाब किताब आदि की आडीटर या चार्टड एकाउन्टेन्ट से जाँच कराना।

4–सभा के सभी प्रस्ताव एवं निर्णय ट्रस्ट मण्डल के प्रबन्धक की स्वीकृति के अधीन रहेंगे।

5–ट्रस्ट की कार्यकारिणी समिति को आपात स्थिति में देखकर उसे भंग करना एवं कार्यकारिणी समिति के समस्त अधिकार अपने में निहित कर दो माह में नयी कार्यकारणी समिति का विधिवत गठन करना।

6–ट्रस्ट की चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा कराना, दान, अुनदान, चन्दा आदि प्राप्त करना।

7–ट्रस्ट के समस्त अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना, एवं उनका समय समय पर निरीक्षण कराना।

8–ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित शिक्षा संस्थानों/कालेजों/मन्दिरों/धर्मशाला व अन्य इकाईयों में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति एवं पदच्युत करना उनकी सेवा शर्त के नियम वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना।

9–ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी आदि विधि सलाहकार के सहयोग से करना व करवाना। प्रबन्धक की असमर्थता पर प्रबन्धक की लिखित अनुमति पर ही ट्रस्ट मण्डल ट्रस्ट के हित में न्यायालय में ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व कर सकेगा।

10–संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण अनुदान पत्रों, चैकों ड्राफ्टों बन्धक विलेखों बिल–बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।

11–प्रबन्धक किसी सुयोग्य व्यक्ति को बिना किसी सदस्यता शुल्क अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर उसे कार्यकारिणी समिति/साधरण सभा/ट्रस्ट का सदस्य बना सकेंगे।

12–आकस्मिक व्यय हेतु आवश्यकतानुसार रूपया अपने पास रखना व व्यय करना।

Manager
Kids Vanasthali Public School
Kalindi Vihar, AGRA

13–संस्था के आजीवन सदस्यों द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता व संस्था विरोधी कार्य करने पर उसे छः वर्ष तक की अवधि के लिये सभा से निलम्बित कर सकता है।
14–संस्था विरोधी कार्य एवं अनुशासनहीनता करने पर किसी भी पदाधिकारी व सदस्य की सदस्यता समाप्त करना चाहे वह कार्यकरीणी समिति या साधारण सभा का सदस्य हो किन्तु इसका अनुमोदन कार्यकारिणी समिति 1/3 बहुमत से कराना आवश्यक होगा।
15–ट्रस्ट के धन को बैंक आदि में लगाने का अधिकार प्रबन्धक के पास होगा।
16–ट्रस्ट एवं Beneficiaries के हित में कोई भी नीतिगत निर्णय लेना प्रबन्धक/मुख्य ट्रस्टी के अधिकार में रहेगा।

अध्यक्ष– अध्यक्ष पद के रिक्त होने की दशा में ट्रस्टी मण्डल के बहुमत से किसी भी व्यक्ति की जो ट्रस्ट के कार्य में रूचि ले सके एवं ट्रस्ट के नियमो एवं उद्देश्यों में पूर्णतः आस्था एवं विश्वास रखता हो ट्रस्ट के समारोह में अध्यक्षता करने हेतु अध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा।
1–सभाओं की अध्यक्षता करना।
2–ट्रस्टी मण्डल की सभा में किसी विषय पर बराबर मत होने की दशा में अपना निर्णायक मत देना।
3–संस्था के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो संस्था के उददेश्यों की पूर्ति एवं विकांस में सहायक हो।

कोषाध्यक्ष– कोषाध्यक्ष पद के रिक्त होने की दशा में ट्रस्ट मण्डल के प्रबन्ध के मार्गदर्शन एवं सहमति से किसी भी ट्रस्टी सदस्य को ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया जा सकेगा। ट्रस्टी प्रमुख के मार्गदर्शन एवं सहमति से ही ट्रस्ट के उद्देश्यों को प्राप्त कर लेने हेतु धन संग्रह व्यय किया जा सकेगा। कोषाध्यक्ष ट्रस्ट के सम्पूर्ण आय–व्यय का व हिसाब किताब का बराबर लेखा जोखा रखेगा एवं नियमित रूप से कानून अनुसार आन्तरिक आडिट आदि करवायेगा। संस्था के आय व्यय वही पत्रों की सत्र समाप्ति पर जाँच हेतु मुख्य ट्रस्टी के समक्ष प्रस्तुत करना। अपने पास आकस्मिक व्यय हेतु आवश्यकता 2500/–रूपया रखना एवं ट्रस्ट के कार्यो में आवश्यक होने पर व्यय करना।

उपसचिव– सचिव की अनुपस्थिति में समस्त कार्य व अधिकार जो सचिव द्वारा किये जाते हैं (केवल वित्तीय अधिकारों को छोड़कर) उपसचिव द्वारा किये जायेंगे।

14– 1–ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय व अन्य संस्थाओं के लिये प्रबन्धसमिति का चुनाव इन्हीं ट्रस्टियों द्वारा किया जायेगा, जिसके लिये प्रबन्धक/मुख्य ट्रस्टी चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करेगा।
2–ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय व अन्य धमार्थ संस्थानों में निम्न पदाधिकारी होंगे जिसमें प्रबन्धक /सचिव पद मुख्य ट्रस्टी के पास आजीवन रहेगा तथा शेष पदाधिकारियों का चयन ट्रस्टी सदस्यों में से होगा किसी भी वाद विवाद की परिस्थितियों में बिना प्रबन्धक की अनुमति के न्यायालय की शरण नहीं ले सकेगा। जिन्हें मुख्य ट्रस्टी द्वारा तीन वर्ष के लिये नामित किया जोयगा।

15– ट्रस्टियों में से कोई भी ट्रस्टी का अवसान, मृत्यु या कोई भी नैतिक दोष एवं हैसियत से कार्य करने में असमर्थ की वजह से अथवा स्वेच्छा से त्याग पत्र देने एवं ट्रस्ट द्वारा स्वीकृत होने पर यदि ट्रस्टी मण्डल द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास कर या 1/3 बहुमत के निर्णय के आधार पर सदस्यता/पद समाप्त हो जाता है तत्पश्चात् ट्रस्टी नियुक्त करने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी का होगा।

16– संस्था के प्रबन्धक/सचिव/मुख्यट्रस्टी को ट्रस्ट सम्पत्ति या उसके किसी भाग को ट्रस्ट हित में निस्तारित करने का अधिकार होगा। और इस सम्बन्ध में वांछित प्रस्ताव उक्त सदस्यों में एक मत से पारित किया जाना आवश्यक होगा।

[redacted]

Manager
Kids Vanasthali Public School
Kalindi Vihar, AGRA

17– मुख्य ट्रस्टी को यह अधिकार रहेगा वह किसी ऐसे ट्रस्टी को पद से हटा सकता है तथा उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है जो उक्त ट्रस्ट के लिये अवांछनीय अथवा ट्रस्ट की पूर्ति/विकास हेतु बाधक है। अपने उक्त निर्णय को मुख्य ट्रस्टी द्वारा कार्यकारिणी के 1/3 बहुमत से अनुमोदन कराना आवश्यक होगा।

18– ट्रस्ट के प्रबन्धक मुख्य ट्रस्टी को ट्रस्ट सम्पत्ति को ऋण के ऐवज में बन्धक रखने का भी अधिकार हासिल होगा और इस सम्बन्ध में ट्रस्ट कार्यकारिणी द्वारा प्रस्ताव पारित कर प्रबन्धक को ऋण प्राप्त करने के लिये अथवा ऋण के ऐवज में ट्रस्ट सम्पत्ति को बन्धक रखने के लिये अधिकृत किया जायेगा।

19– किसी भी मुख्य उद्देश्य या गौण उद्देश्य की पूर्ति के लिए ट्रस्टीयों की कमेटी बनाई जा सकेगी। उद्देश्य पूरा होने पर कमेटी स्वतः भंग हो जाएगी। कार्यकाल के दौरान अनियमितता पाये जाने पर या अन्यथा रुप सेप्रबन्धक के द्वारा ऐसी कमेटीयाँ भंग की जा सकेंगी।

अतः यह ट्रस्टी डीड मुख्य ट्रस्टी द्वारा राजी व खुशी से बिला बहकाये व सिखाये व बिला किसी नाजायज दबाब के अपने पूर्ण होश हवाश में अपने परीवारजनों से सलाह मशविरा किये लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

तहरीर तारीख 4/12/10 ई0 व मसौदा दयाशंकर यादव एडवोकेट सदर तहसील आगरा।

(श्री मनी[illegible] मित्तल)
पुत्र श्री नेमी चन्द मित्तल
नि० 45, ओल्ड सरस्वती नगर, बल्केश्वर, आगरा

मीरा मित्तल

गवाह–

1. श्रीमती मीरा मित्तल पुत्री श्री बाबूलाल गोयल
   नि० 45, ओल्ड सरस्वती नगर, बल्केश्वर, आगरा

2. श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री नेमीचन्द
   नि० 45, ओल्ड सरस्वती नगर, बल्केश्वर, आगरा

Daya Shankar Yadav
Advocate
Tehsil Sadar, Agra

Manager
Kids Vanasthali Public School
Kalindi Vihar, AGRA

आज दिनांक **04/12/2010** को

बही सं **4** जिल्द सं **897**

पृष्ठ सं **41** से **64** पर कमांक **234**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

ललित मोहन प्र0

उपनिबन्धक (प्रथम)

आगरा सदर

4/12/2010

कार्यालय उपनिबन्धक, आगरा

ट्रस्ट डीड अधिनियम के अनुपालन में मुख्य ट्रस्टी/ट्रस्टी के फिंगर प्रिन्ट्स

1. मुख्य ट्रस्टी का नाम : मनीष कुमार मित्तल
   व पता : 45, ओल्ड सरस्वती नगर, बल्केश्वर
   आगरा–282004

	अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यिका	अनामिका	कनिष्ठा
बाये हाथ के अंगुष्ठ चिन्ह					

	अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यिका	अनामिका	कनिष्ठा
दाहिने हाथ के अंगुष्ठ चिन्ह					

2. ट्रस्टी का नाम : श्रीमती निर्मल चौहान
   व पता. ए–212, ट्रांस यमुना कॉलोनी, रामबाग, आगरा

	अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यिका	अनामिका	कनिष्ठा

	अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यिका	अनामिका	कनिष्ठा
दाहिने हाथ के अंगुष्ठ चिन्ह					

Manager
Kids Vanasthali Public School
Kalindi Vihar, AGRA